भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3538
दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

गुजरात में बल्क ड्रग पार्कों की प्रगति की स्थिति

3538. श्री गोविंद भाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना लागू की है;
(ख) क्या इस योजना के तहत गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए तीन बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किए गए हैं;
(ग) क्या इन पार्कों में स्थापित इकाइयों के लिए बल्क ड्रग निर्माताओं को रियायती दरों पर भूमि, बिजली, पानी, अपशिष्ट शोधन संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और गोदाम जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है; और
(घ) गुजरात के लिए स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी, हां। औषध विभाग "बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 को देश में तीन (3) बल्क औषधि पार्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझी अवसंरचना सुविधाओं के विनिर्माण द्वारा बल्क औषधियों के उत्पादन की लागत को कम करना है। इससे बल्क औषधियों के उत्पादन में पैमाने की अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में तीन बल्क औषधि पार्क स्वीकृत किए गए। केंद्र सरकार द्वारा साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 70% (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 90%), जो भी कम हो, के अधीन है।

(ग): जी, हां। बल्क औषधि पार्क रियायती दर पर जमीन और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मालगोदाम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ): राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने केंद्रीय अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त ₹300 करोड़ की दो किस्तों में से ₹341.44 करोड़ और राज्य निधि से प्राप्त ₹274.20 करोड़ में से ₹206.92 करोड़ का उपयोग सीआईएफ के विकास के लिए किया है।

गुजरात बल्क औषधि पार्क के अंतर्गत सीआईएफ की प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- गुजरात बल्क औषधि पार्क को फरवरी 2024 में पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी। सड़क, जल निकासी, जल अवसंरचना, अपशिष्ट संग्रहण और रैक प्रणाली जैसी सभी साझी अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित सिविल निविदाएं आबंटित की जा चुकी हैं और स्थल पर लगभग अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है।

- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), सॉल्वेंट रिकवरी, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज जैसे सीआईएफ यूटिलिटी निविदाएं भी आबंटित की जा चुकी हैं और स्थल पर काम का एक छोटा हिस्सा पूरा हो चुका है। पार्किंग संबंधी निविदा नवंबर 2025 में आबंटित की गई थी।

- स्टीम जैनरेशन के लिए निविदा जारी कर दी गई है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

- उपरोक्त सीआईएफ कार्यों के अतिरिक्त, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) ने 4 किलोमीटर लंबी एक संपर्क सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और बल्क औषधि पार्क स्थल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा नहर से सतही जल निकालने के लिए एक जल पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है।

******